न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर(राज.)

जयप्रकाश व अन्य विरूद्ध जगन्नाथ व अन्य

वाद प्रकरण नं. 02/2023

30.05.2026

1. वादीगण तथा उनके अधिवक्ता श्री देवेंद्र अग्रवाल अनुपस्थित । वादी अधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यवीर भास्कर ने उपस्थिति पत्र प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार उपस्थित जिन्होंने वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रतिलिपि अधिवक्ता वादी के ब्रीफ होल्डर को दिलवाई गई । आवेदन पत्र पर बहस सुनी गई ।

3. वादीगण की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2026 को मय फर्द दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ प्रश्नगत विक्रय पत्र तनसुख व अन्य विरूद्ध जयप्रकांश व अन्य की फोटोप्रति प्रस्तुत की थी जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि आज अभिलेख पर प्रस्तुत करना चाहते हैं जो प्रकरण में सुसंगत दस्तावेज हैं । अतः अभिलेख पर लिए जाएं । उक्त आवेदन पत्र का जवाब देते हुए प्रतिवादीगण की ओर से बताया गया कि वादीगण ने यह कारण नहीं बताया है कि वाद प्रस्तुति के समय उक्त दस्तावेज प्रस्तुत क्यों नहीं किए गए और मूल विक्रय पत्र कहां है या नष्ट हो गया है । मूल प्रलेख के अस्तित्व में रहते द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण किया जाना संभव नहीं है । द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है । विक्रय पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत किए जाने से यह अनुमान लगाया जाएगा कि मूल विक्रय पत्र तत्समय वादी के कब्जे में था । आवेदन पत्र अस्पष्ट व अधूरा है । प्रश्नगत विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में निष्पादित है । अतः ऐसी स्थिति में असल की स्थिति स्पष्ट किए बिना द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण नहीं की जा सकती ।

4. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक

30/5/2026
अपर जिला न्यायाधीश
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा प्रश्नगत विक्रय पत्र की फोटोप्रति वादपत्र के साथ पत्रावली पर प्रस्तुत की गई थी जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां हस्तगत आवेदन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं । विक्रय पत्र पंजीकृत दस्तावेज होने से लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है । बहस के दौरान वादीगण के अधिवक्ता के ब्रीफ होल्डर की ओर से असल विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रश्नगत विक्रय पत्र प्रकरण में सुसंगत होना स्पष्ट है क्योंकि यह वादीगण के वाद का आधार है ।

5. वादीगण की ओर से उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज असल अथवा प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किए जाने और विलंब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है । दस्तावेज इस स्तर पर प्रस्तुत किए जाने से प्रकरण में गत पेशी पर वादी साक्षीगण का परीक्षण नहीं हो सका । अतः इस विलंब को कोस्ट से समायोजित किया जाना न्यायोचित है ।

6. अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत आवेदन पत्र दो हजार रूपए कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं असल विक्रय पत्र अभिलेख पर लिए जाते हैं । कोस्ट राशि लीगल एड में जमा करवाकर आगामी दिनांक तक रसीद प्रस्तुत करें । आगामी दिनांक को वादी साक्षीगण आवश्यक रूप से साक्ष्य हेतु उपस्थित रहें । साक्ष्य शपथपत्र की प्रतिलिपि आगामी दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व प्रतिवादीगण अधिवक्ता को उपलब्ध करवाएं । प्रतिवादीगण अधिवक्ता को निर्देश है कि आगामी दिनांक को भी वादी साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करें । पत्रावली पेश होने कोस्ट अदायगी रसीद तथा साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 02.07.2026 को प्रस्तुत हो ।

31/5/26

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज.)